

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या-80/60-3-14-3(21)/97, दिनांक 17.01.14 तथा अधिसूचना संख्या-79/60-3-14-3 (21)/97, दिनांक 17.01.14 के अनुक्रम में उ०प्र० राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2004 (यथा संशोधित) की धारा-3 की उपधारा-2 के खण्ड (क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री राज्यपाल उ०प्र०, राज्य महिला आयोग में नाम निर्दिष्ट श्रीमती जरीना उर्फ फात्मा उसमानी, मा० अध्यक्ष, सुश्री सुमन यादव, मा० उपाध्यक्ष तथा श्रीमती जानकी पाल को उनके कार्यकाल समाप्ति की तिथि से आगामी एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त तक उ०प्र० राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष/उपाध्यक्ष नामित करते हैं।

रेणुका कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या- 105 (1)/60-3-15-3 (21)/97, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मा० अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, उ०प्र० राज्य महिला आयोग।
- 2- प्रमुख सचिव, मा० मुख्य मंत्री जी।
- 3- निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण।
- 4- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव।
- 5- सदस्य सचिव, राष्ट्रीय महिला आयोग, 4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली।
- 6- सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
- 7- निदेशक, महिला कल्याण, उ०प्र० लखनऊ।
- 8- निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, महिला कल्याण, उ०प्र०, लखनऊ।
- 9- सदस्य सचिव, उ०प्र० राज्य महिला आयोग, गोमती नगर, लखनऊ।
- 10- प्रमुख सचिव गृह/गोपन विभाग।
- 11- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० महिला कल्याण निगम, गोमतीनगर, लखनऊ।
- 12- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, निकट श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल, लखनऊ।
- 13- सचिव, उ०प्र० समाज कल्याण बोर्ड, कैसरबाग, लखनऊ।
- 14- सदस्य सचिव, उ०प्र० नियंत्रण बोर्ड, मोती महल, लखनऊ।
- 15- संबंधित जिलाधिकारी।
- 16- सम्बन्धित नामित मा० अध्यक्ष/उपाध्यक्ष।
- 17- महिला एवं बाल विकास सचिव शाखा के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
- ✓ 18- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(नन्दलाल प्रसाद)
उप. सचिव।